ग्राम पंचायत बनाल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बनाल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। **अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-**

प्रधान:-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री जसवंत सिंह	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री प्रकाश चन्द	23.01.16 से लगातार

सचिव:-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री मोहिन्द्र सिंह	01.04.14 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बनाल, विकास खण्ड सुजानपुर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-4.2	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना	-
2	पैरा-4.3	बैंक में जमा राशि का रोकड़ वही में रख-रखाव न करना	2.61
3	पैरा-4.4	पंचायत के खाते निजी बैंक में खोलने बारे	-
4	पैरा-5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.02
5	पैरा-6	अनुदान का उपयोग न करना	22.58
6	पैरा-7	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना	-

7	पैरा-8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय करना	-
8	पैरा-9	खाता ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित न करना	-
9	पैरा-10	मिट्टी की ख़ुदवाई के कार्य में अनियमित भुगतान	0.26

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बनाल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेंद्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 05.06.17 से 08.06.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	08/2014	06/2014
2015-16	10/2015	07/2015
2016-17	02/2017	02/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत बनाल, विकास खण्ड सुजानपुर के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 390 दिनांक 07.06.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 645840 (PNB) दिनांक 13.06.17 ₹6200 निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत बनाल, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत:- ग्राम पंचायत बनाल, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष

2014-15	245153	35158	280311	32154	248157
2015-16	248157	136369	384526	18514	366012
2016-17	366012	40047	406059	26140	379919

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत बनाल, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	173387	1215608	1388995	957226	431769
2015-16	431769	897651	1329420	738111	591309
2016-17	591309	2786154	3377463	1119963	2257500

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹379919

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹2257500

कुल अन्तिम शेष ` ₹2637419

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹2637419

बैंक खाता संख्या	**राशि**
GEN. (B) KCCB-63188	1319933
GEN. (A) KCCB-05002	0
GEN. (A) PNB-42290	379919
SBM. KCCB-90494	226142
RAY, PNB-42281	391
IAY, PNB-44211	0
13th FC, PNB-42306	39783
14th FC, HDFC -94164	671251
MNREGA, CANARA -04204	0
कुल राशि	**2637419**

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत बनाल की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं

किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.3 बैंक में जमा ₹2.61 लाख का रोकड़ वही में रख-रखाव न करना:-

जांच में पाया कि पंचायत में निम्नलिखित बैंक खाते खोले गये थे जिनमें दिनांक 31.03.17 को ₹261257 जमा थे एवं इन खातों का रख-रखाव रोकड़ वही में नहीं किया गया था एवं अंकेक्षण अवधि में इन खातों से कोई लेन-देन भी नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा इन खातों के रख-रखाव के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया जिससे इन खातों में जमा राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इन खातों को खोलने के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं इनका रख-रखाव रोकड़ वही में करना सुनिश्चित करें ताकि इनमे जमा राशि का दुरुपयोग न हो सके। खातों का विवरण निम्नलिखित है:-

खाता संख्या	**दिनांक 31.03.17 को जमा राशि**
KCCB- 20042039019 (Haryali)	96082
CANARA- 2558101004202 (Water shed)	105206
CANARA- 2558101004211 (Water shed)	59969
कुल जमा राशि	₹261257

4.4 पंचायत के खाते निजी बैंक में खोलने बारे :-

जांच में पाया कि पंचायत में 14th FC का बैंक खाता निजी बैंक एचडीएफ़सी सुजानपुर में खोला गया था, जो कि वित विभाग के पत्र संख्या Fin-IF(A)1-68/91-V दिनांक 17.04.14 में दिये गए दिशा-निर्देशों की सरासर अवहेलना है । उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थानों की अतिरिक्त राशि Cooperative Bank में निवेशित की जानी अपेक्षित थी । अतः पंचायत निधि की राशि को निजी बैंक में रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं उक्त पत्र के निर्देशों के अनुसार Cooperative Bank की नजदीक की शाखा में पंचायत की राशि को निवेशित करना सुनिश्चित करें।

5 पंचायत राजस्व ₹0.02 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹1550 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार गृहकर का रजिस्टर

भी तैयार करना सुनिश्चित करें । निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹ 1550/- की वसूली शेष थी ।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की अपेक्षित मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	5300	5300	5140	160
2015-16	160	5360	5520	5220	300
2016-17	300	15450	15750	14200	1550

6 अनुदान ₹22.58 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2257500 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था । निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये ।

क्र॰सं	अवधि	कार्य का नाम
		General Cash Book
1	2014-15	नि. दो कमरे बनाल
2	2016-17	नि. सामुदायिक भवन, बनाल

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में पंचायत में सामग्री का क्रय निविदायें आमंत्रित किए बिना ही किया गया था। चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
	General Cash Book				
1	22 दिनांक 19.06.14	Bill No. - Dated -, M/s Parkash Chand	सेटरिंग	11400.00	नि. दो कमरे GMS बनाल
2	23 दिनांक 23.06.14	Bill No. 568 Dated 25.03.14, M/s Thakur Furniture Industry	खिड़कियाँ व दरवाजे	57880.00	-do-
3	24 दिनांक 24.06.14	Bill No. - Dated -, M/s Dalip Singh	रेत	7500.00	-do-
4	25 दिनांक 25.06.14	Bill No. 183 Dated 25.03.14, M/s Vishavkarma Industry	ग्रिल	19968.00	-do-
5	31 दिनांक 04.07.15	Bill No. 1040 Dated 01.05.15, M/s Ashok Kumar & Bros	स्टील	4224.00	नि. सोक पिट
6	34 दिनांक 17.07.15	Bill No. 7 Dated 01.06.15, M/s Mohan Singh	ईंटें	6000.00	-do-
7	36 दिनांक 25.07.15	Bill No.- Dated -, M/s Jasbir Singh	निर्माण	8130.00	-do-

			सामग्री		
8	101 दिनांक 09.02.17	Bill No. 6 Dated 20.10.16, M/s Sai Builders & Traders	Cutting work	25515.00	नि. सामुदायिक भवन, बनाल
9	2 दिनांक 09.04.14	Bill No. 9136 Dated 29.08.13, M/s Jagdamba Marble & sanitary house	टाइल्स	22425.00	नि. टाइलिंग शौचालय भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र

9 खाता ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार खाता- ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज को प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई के मास में खाता- क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था । लेकिन जांच में पाया कि नियमानुसार खाता- ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज को खाता- क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित नहीं किया गया था जो कि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व व आपतिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार ब्याज की राशि को खाता- क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित करना सुनिश्चित करें ।

10 मिट्टी खुदाई के कार्य को सत्यापित किए बिना ₹0.26 लाख का अनियमित भुगतान :-

वाउचर संख्या 101 दिनांक 09.02.17 की जांच में पाया कि बिल संख्या 6 दिनांक 20.10.16 द्वारा मैसर्ज साई बिल्डर को 63 क्यूबिक मीटर मिट्टी की खुदाई करने के एवज में ₹405 प्रति क्यूबिक मीटर की दर से ₹25515 का भुगतान किया गया था, लेकिन भुगतान करने से पूर्व मिट्टी की खुदाई की रिकॉर्ड प्रविष्टि नहीं की गई थी एवं न ही भुगतान से पूर्व खुदाई की मात्रा को सक्षम अधिकारी ने सत्यापित किया था एवं पंचायत द्वारा प्रस्ताव भी पास नहीं किया गया था, जिससे भुगतान की सत्यता का पता नहीं चल सका। अतः उक्त खुदाई की मात्रा को सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था,

जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर
2. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
3. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
4. लेखन सामग्री के रख-रखाव से संबन्धित भण्डार रजिस्टर तैयार न करना ।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

13 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

14 निष्कर्ष :-लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(6)19/2017–खण्ड–1–5829–5832,दिनाँक22.09.17
शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत बनाल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046